



2026:AHC:32469

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- बी संख्या-638/2026

बछराज सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्व बोर्ड और 11 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: सुरेश सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय,

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सुरेश सिंह की ओर से उपस्थित श्री देवेंद्र सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के लिए स्थायी अधिवक्ता श्री मुनेश्वर सिंह और प्रतिवादी-ग्राम सभा के लिए अधिवक्ता श्री आजाद राय को सुना गया।
2. यह रिट याचिका प्रतिवादी संख्या-1/उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, प्रयागराज, प्रयागराज को द्वितीय अपील संख्या 2362/2025 (सत्य प्रताप सिंह और अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त(न्यायिक), प्रयागराज) पर निर्धारित समय के भीतर निर्णय लेने का आदेश देने हेतु परमादेश रिट की मांग करते हुए दायर की गयी है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि निजी प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को विपक्षी पक्षकार बनाकर दायर की गई द्वितीय अपील 28.05.2025 से प्रतिवादी संख्या 1/राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है। उन्होंने निवेदन किया है कि द्वितीय अपील को स्वीकार नहीं किया गया है अतः द्वितीय अपील के शीघ्र निस्तारण के लिए समयबद्ध निर्देश जारी किया जाए।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितिओं पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निस्तारण प्रतिवादी संख्या 1 को उपरोक्त द्वितीय अपील को स्वीकार करने हेतु विचार करने और यथाशीघ्र अधिमानतः 2 माह की अवधि के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि से संबंधित पक्षों को विधि के अनुसार सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात उचित आदेश पारित करने के साथ किया जाता है।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

13 फरवरी, 2026

सी. प्रकाश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”